Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर की पंचायत समिति कठूमर में सहायक अभियंता 25,000/– रुपये एवं कनिष्ठ अभियंता 10,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर,दिनांक 22 सितम्बर 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी द्वारा आज कार्रवाई करते हुए आरोपी **शिवराम, सहायक अभियंता, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर** को **25,000/– रुपये** तथा आरोपिया **मिन्ना खान, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर** को **10,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों डिटेन किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि फर्म मैसर्स पोसवाल कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत में एफएसएसी योजना के अन्तर्गत टेण्डर के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केन्द्र ईटोला का मरम्मत कार्य करवाया गया था। उक्त कार्य के 2,52,000/– रुपये के बिल का भुगतान पंचायत समिति कठूमर में लंबित था। बिल के भुगतान के संबंध में परिवादी द्वारा शिवराम, सहायक अभियंता एवं मिन्ना खान, कनिष्ठ अभियंता से पंचायत समिति कठूमर में सम्पर्क किया गया तो सहायक अभियंता द्वारा उक्त बिल पास करने की एवज में 40,000/– रुपये तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा 15,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर दिनांक 18 सितम्बर 2026 को ए.सी.बी. द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी शिवराम, सहायक अभियंता, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर द्वारा परिवादी से 40,000/– रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा परिवादी द्वारा राशि कम करवाने पर 35,000/– रुपये में सहमत होकर 10,000/– रुपये मौके पर ही प्राप्त करना एवं 25,000/– रुपये और लेने के लिए सहमत होना पाया गया। इसी प्रकार आरोपिया मिन्ना खान, कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी से 15,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर 5,000/– रुपये मौके पर ही प्राप्त करना तथा 10,000/– रुपये और मांगना स्पष्ट रूप से पाया गया।

जिस पर ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी द्वारा आज **डॉ. रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम** ए.सी.बी. के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी भिवाड़ी के प्रभारी एवं टीएलओ

श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवराम को 25,000/- रुपये तथा आरोपिया मिन्ना खान को 10,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमाला** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 94135–02834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।